CANCELLED CANCELLED

(195)

3

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग - 796-I-16

प्रकरण क्रं. / 2016

(14)

आवेदक– शंकरलाल तिवारी आत्मज बारेलाल तिवारी
निवासी– बड़ी उखरी, जबलपुर (म.प्र.)

विरूद्ध

अनावेदक– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा–तहसीलदार, जबलपुर

श्री एम.एम. मुदगल
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
10 FEB 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक न्यायालय अपर कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 119–बी–121 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07–12–2015 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :–

तथ्य – प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि :–

ग्राम लक्ष्मीपुर नं.ब. 643, प.ह.नं. 25 / 31 स्थित भूमि खसरा नं. 131 / 2 व 135 / 2 रकबा क्रमशः 0.154 हे., व 0.028 हे. भूमि शंकर जी महाराज के नाम दर्ज होकर कल्लू काछी सर्वराहकार वर्ष 74–75 तक था। वर्ष 75–76 में सर्वराहकार कल्लू काछी के स्थान पर शंकरलाल पिता बारेलाल का नाम सर्वराहकार के रूप में दर्ज हुआ और उस समय से आवेदक प्रश्नाधीन मंदिर की सेवा पूजा सर्वराहकार के रूप में करता चला आ रहा है तथा मंदिर से लगी उक्त भूमि पर काबिज होकर उसकी देखरेख तथा व्यवस्था करता चला आ रहा है ।

यह कि उक्त भूमि पर वर्ष 1983–84 में पटवारी द्वारा कलेक्टर का नाम बिना किसी आदेश एवं सुनवाई के प्रबंधक के रूप में दर्ज कर दिया जो अब तक खसरे में दर्ज चला आ रहा है ।

यह कि आवेदक ने उक्त भूमि पर प्रबंधक कलेक्टर के रूप में

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 796-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-3-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 119/बी-121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 7-12-2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम लक्ष्मीपुर न.बं. 643 प.ह.नं. 25/31 स्थित भूमि खसरा नं. 131/2 व 135/2 रकबा क्रमशः 0.154 एवं 0.028 कुल रकबा 1.082 हैक्टर शंकरजी महाराज के नाम कल्लू आत्मज खितई काछी ने क्रय कर लगाई थी और वह उसका स्वयं सर्वराहकार रहा । वर्ष 1974-75 तक कल्लू काछी का नाम सर्ववराहकार की हैसियत में दर्ज रहा । वर्ष 1975-76 में कल्लू काछी के स्थान पर शंकरलाल पिता बारेलाल को सर्वराहकार बना गया । अतः उनके नाम की प्रविष्टि राजस्व कागजात में दर्ज रही जो वर्तमान तक विद्यमान है । वर्ष 1983-84 में पटवारी द्वारा बगैर किसी आदेश के " प्रबंधक" कलेक्टर " की प्रविष्टि उक्त भूमि पर कर दी गई । अतः उक्त प्रविष्टि को विलुप्त किए जाने हेतु आवेदन आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष पेश की जो उन्होंने निरस्त किया है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उद्धरित न्यायदृष्टांतों का अवलोकन किया । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि कल्लू पुत्र खितई काछी द्वारा शंकरजी के नाम से क्रय की गई थी तथा वह स्वयं सर्वराहकार बना रहा उसके नाम की प्रविष्टि खसरा वर्ष 1974-75 तक पाई जाती है । इकारारनामा दिनांक 28-10-76 से आवेदक शंकरलाल तिवारी को कल्लू काछी द्वारा उक्त	

शंकरलाल तिवारी विरूद्ध म0प्र0 शासन

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 796-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

मंदिर का सर्वराहकार नियुक्त किया गया है और वर्ष 1975-76 से शंकरलाल तिवारी की प्रविष्टि सर्वराहकार के रूप में अंकित है । जहां तक उक्त भूमि पर " प्रबंधक कलेक्टर " की प्रविष्टि की प्रश्न है वहां आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर 1985 आर.एन. 317 (खंडपीठ उच्च न्यायालय) पेश की गई है । माननीय उच्च न्यायालय की उक्त नजीर के प्रकाश में प्राइवेट मंदिर की भूमि पर कलेक्टर प्रबंधक की प्रविष्टि नहीं की जा सकती है । इसी संदर्भ में आवेदक अभिभाषक द्वारा एक अन्य नजीर 1995 आर.एन. 366 उच्च न्यायालय (म0प्र0 राज्य विरूद्ध जगन्नाथ) भी पेश की गई है जिसमें निर्धारित किया गया है कि प्रायवेट मंदिर की भूमि - सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा कलेक्टर की प्रबंधक के रूप में नियुक्ति अधिसूचना ऐसी भूमि को लागू नहीं होती । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-15 निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 131/2 रकबा 0.154 हैक्टर एवं खसरा नं. 135/2 रकबा 0.28 हैक्टर पर " प्रबंधक कलेक्टर " की प्रविष्टि विलुप्त की जाती है । तहसीलदार, जबलपुर को निर्देश दिए जाते हैं कि वे तद्नुसार राजस्व अभिलेख दुरस्त करें ।

सदस्य

XXXIX(a) BR(H) 11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 796/I/16 जिला अवलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–5–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम. एम. मुद्गल उपस्थित । उनके द्वारा इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 14–3–06 को पारित आदेश में हुई लिपिकीय टंकण त्रुटि को सुधारने बावत आवेदन पेश करते हुए कहा गया कि आदेश के प्रथम पैरा की तीसरी लाइन में में कुल रकबा 0.182 हैक्टर के स्थान पर 1.082 दर्ज हो गया है, इसी प्रकार अंतिम पैरा की चौथी लाइन में में खसरा नं. 135/2 का रकबा 0.028 के स्थान पर 0.28 टंकित हो गया है, जिसे सुधारा जाये । 2/ आवेदक अधिवक्ता के निवेदन के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा आदेश का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि सही प्रतीत होती है । अतः न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14–3–06 को पारित आदेश के प्रथम पैरा की तीसरी लाइन में कुल रकबा 1.082 के स्थान पर 0.182 हैक्टर तथा आदेश के अंतिम पैरा की चौथी लाइन में खसरा नं. 135/2 का रकबा 0.28 हैक्टर के स्थान पर 0.028 हैक्टर पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । सदस्य	26.5.16